न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 62 / 2020

वादीगण		प्रतिवादी
1 पुरखाराम 2 हीराराम 3 नारायणराम पिसरान रामचंद जाति सुथार निवासी पूनड़ों की बस्ती, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1 रामचन्द पुत्र गोमाराम जाति सुथार निवासी पूनड़ों की बस्ती, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री कुमार कौशल जोशी, वकील वादीगण।

2. श्री देवीलाल कुमावत, वकील प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 24/12/20

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, गोमाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि मौजा पूनड़ों की बस्ती पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 87 रकबा 0.18 बीघा, खसरा संख्या 88 रकबा 166.05 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता गोमाराम की फौतगी पर वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 रामचन्द के नाम दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 गोमाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/4—1/4 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 रामचन्द की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 गोमाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/4—1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 रामचन्द द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 01 पुरखाराम द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 रामचन्द के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि माफिक राजीनामा वाद स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 रामचन्द के साथ अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा पूनड़ों की बस्ती पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 87 रकबा 0.18 बीघा, खसरा संख्या 88 रकबा 166.05 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 रामचन्द के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक २५।१।२१ को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रपत्र – 5

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादी
1 पुरखाराम 2 हीराराम 3 नारायणराम पिसरान रामचंद जाति सुथार निवासी पूनड़ों की बस्ती, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1 रामचन्द पुत्र गोमाराम जाति सुथार निवासी पूनड़ों की बस्ती, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

दावा बाबत् 88 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 62/2020

निर्णय दिनांक :– 24.12.20

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.12.20 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा पूनड़ों की बस्ती पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 87 रकबा 0.18 बीघा, खसरा संख्या 88 रकबा 166.05 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 रामचन्द के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 24.12.20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रोहित चौहान)
पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के निर्वाहार्थ व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:22 IST
Reason: SelfAttested